

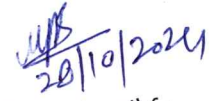
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
मुख्य अभियंता का कार्यालय
ऊपरी गंगा बेसिन संगठन

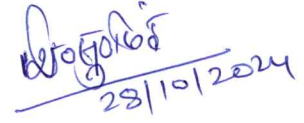


Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Office of Chief Engineer
Upper Ganga Basin Organization

मिस. पूजा द्वारा की गयी प्रथम अपील (दिनांक 28.09.2024) के अनुक्रम में मुख्य अभियंता कार्यालय, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, लखनऊ से सम्बंधित सूचना निम्नवत है :

Sl No.	Question	Answer
1	No. employees who are habitual late comers since 01.01.2023, i.e., their IN attendance on AEBAS is after is after 09.40 AM in each office since 01.01.2023.	NIL (शून्य)
2.	No. employees who are habitual early goers since 01.01.2023, i.e., their OUT attendance on AEBAS is after is before 05.00 PM (06.00 PM whichever is Applicable) since 01.01.2023.	NIL(शून्य)
3.	3 Details of corrective action such as total no. of warning letter/ deduction of leave etc. done since 01.01.2023	Not applicable (लागू नहीं)


(माया प्रकाश मौर्य)
अनुभाग अधिकारी


(शिव सुंदर सिंह)
अधीक्षण अभियंता (समन्वय)

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, देहरादून



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Hydrological Observation
Circle, Dehradun

पत्रांक : A-52/11/2021-HOC-DEHRADUN-Part(1) / 495

दिनांक : 29/10/2024

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता (समन्वय),
ऊपरी गंगा बेसिन संगठन,
केन्द्रीय जल आयोग,
लखनऊ

विषय : आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आरटीआई आवेदन Miss/Mrs पूजा के सम्बन्ध में ।
सन्दर्भ:- पत्रांक : I-12011/32/2023-UGBO दिनांक - 10/10/2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत Miss/Mrs पूजा, आर.के.पुरम, नई दिल्ली के द्वारा मांगी गयी इस परिमंडल एवं अधीनस्थ कार्यालय हिमालयी गंगा मंडल, हरिद्वार एवं मध्य गंगा मंडल-II, लखनऊ से सम्बंधित उक्त जानकारी संलग्न कर अग्रिम कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित है ।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय

(सुधीर कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता
अधीक्षण अभियन्ता

Superintending Engineer
ज०वि०प्रे०परि०के०ज०आ०, देहरादून
H.O.C., C.W.C. DEHRADUN

156, वसंत विहार,
फेज-1, देहरादून-248006
दूरभाष: 0135-2761562,
फैक्स-0135-2760631,
ई मेल: sehocdehradun-cwc@nic.in



156, Vasant Vihar,
Phase-1, Dehradun-248006
Tel: 0135-2761562,
Fax-0135-2760631
E-mail: sehocdehradun-cwc@nic.in

जल संरक्षण-सुरक्षित भविष्य

Conserve Water- Save Life

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, देहरादून



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Hydrological Observation
Circle, Dehradun

जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून

क्रम सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
1.	No. employees who are habitual late comers since 01.01.2023 i.e., their IN attendance on AEBAS is after 09:40 AM in each office since 01.01.2023.	वांछित सूचना शून्य समझी जाये।
2.	No. of employees who are habitual early goers since 01.01.2023 i.e., their OUT attendance on AEBAS is before 05:00 PM (or 06:00 PM whichever is applicable) since 01.01.2023.	वांछित सूचना शून्य समझी जाये।
3.	Details of corrective action such as total No. of warning letters/deduction of leave etc done since 01.01.2023.	लागू नहीं।

[Handwritten signature]
29/10

(सुधीर कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता
अधीक्षण अभियन्ता

Superintending Engineer
ज०वि०प्रे०परि०के०ज०आ०, देहरादून
H.O.C., C.W.C. DEHRADUN

156, वसंत विहार,
फेज-1, देहरादून-248006
दूरभाष: 0135-2761562,
फैक्स-0135-2760631,
ई मेल: sehocdehradun-cwc@nic.in



जल संरक्षण-सुरक्षित भविष्य

156, Vasant Vihar,
Phase-1, Dehradun-248006
Tel: 0135-2761562,
Fax-0135-2760631
E-mail: sehocdehradun-cwc@nic.in

Conserve Water- Save Life



पत्रांक: 1/12/2016/स्था0-पी0क्यू/वी.आई.पी.आर.टी.आई/म0ग0म0-2/3098-99
सेवा में,

दिनांक: 28/10/2024

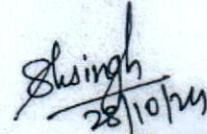
अधीक्षण अभियंता
जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल
केन्द्रीय जल आयोग
देहरादून

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम- के अंतर्गत संशोधित सूचना उपलब्ध करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ: पत्रांक I-12011/32/2023-UGBO दिनांक 10.10.2024।
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रांक के अनुपालन में Miss/Mrs पूजा (application no. CWCND/R/E/24/00291 dt. 11.09.2024) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 अंतर्गत मागी गयी वांछित संशोधित सूचना का विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं.	मांगी गई सूचना	इस कार्यालय की सूचना
(1)	No employees who are habitual late comes since 01.01.2023 i.e., their IN attendance on AEBAS is after 09:40 AM in each office since 01.01.2023.	उपरोक्त से संबंधित सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
(2)	No of employees who are habitual early goes since 01.01.2023 i.e., their OUT attendance on AEBAS is before 05:00 PM (or 06:00 PM whichever is applicable) since 01.01.2023.	उपरोक्त से संबंधित सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
(3)	Details of corrective action such as total No of warning letters/ deduction of leave etc done since 01.01.2023.	उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय से संबंधित सूचना शून्य है।

भवदीय,


(सर्वजीत कुमार सिंह)
अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ को सूचनार्थ (द्वारा अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून)।





पत्रांक:- 01/13/HGD/2022/ 4688-89
सेवा में,

दिनांक:- 28/10/2024

अधीक्षण अभियंता,
जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल,
केन्द्रीय जल आयोग,
देहरादून।

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

सन्दर्भ- पत्र सं. I-12011/32/2023-UGBO दिनांक:- 10.10.2024.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्राप्त Ms Pooja, RK Puram, New Delhi के RTI आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2024, के द्वारा मांगी गई सूचना बिन्दुवार निम्नलिखित है।

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	No. employees who are habitual late comers since 01.01.2023 i.e, their In attendance on AEBAS is after 09:40 AM in each office since 01.01.2023.	वांछित सूचना शून्य समझी जाये।
2.	No. of employees who are habitual early goers since 01.01.2023 i.e., their OUT attendance on AEBAS is before 05:00 PM (or 06:00 PM whichever is applicable) since 01.01.2023.	वांछित सूचना शून्य समझी जाये।
3.	Details of corrective action such as total No. of warning letters/deduction of leave etc done since 01.01.2023.	लागू नहीं।

उक्त आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अधीक्षण अभियंता(समन्वय), ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।

I/186985/2024

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केंद्रीय जल आयोग

प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, आगरा



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Jal Shakti

Dept. of Water Resources, RD&GR

CENTRAL WATER COMMISSION

M&A Directorate, Agra

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता (समन्वय) एवं CPIO,

ऊपरी गंगा बेसिन संगठन,

केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।

विषय – Ms Pooja की आर.टी.आई. आवेदन सं. CWCND/R/E/24/00291 दिनांक 11.09.2024 हेतु RTI

अधिनियम – 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ – आपका पत्र सं. I-12011/32/2023-UGBO/ दिनांक 10.10.2024.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्राप्त Ms Pooja, RK Puram, New Delhi के RTI आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2024, के द्वारा मांगी गई सूचना बिन्दुवार निम्नलिखित है:

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	No. of employees who are habitual late comers since 01.01.2023 i.e., the IN attendance on AEBAS is after 0940 AM in each office since 01.01.2023.	None
2.	No. of employees who are habitual early goers since 01.01.2023 i.e., their out attendance on AEBAS is before 0500 PM (or 0600 PM whichever is applicable) since 01.01.2023	None
3.	Details of corrective action such as total no. of warning letters/deduction of leave etc. done since 01.01.2023	Nil

भवदीय,

Signed by Goverdhan

Prasad

Date: 18-10-2024 12:52:50

Reason: Approved
(गोविंद प्रसाद)

निदेशक





F.No. I-12011/19/2024-M and A-Lucknow/120

दिनांक 21.10.2024

सेवा में

अधीक्षण अभियन्ता (समन्वय),
उपरी गंगा बेसिन संगठन,
केन्द्रीय जल आयोग,
लखनऊ।

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
संदर्भ:- आपके e-मेल दिनांक 10.10.2024 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक Miss. Pooja, R.K. Puram, New Delhi के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किये गये आवेदन द्वारा वांछित इस कार्यालय से सम्बंधित सूचना निम्नवत है।

क्रं. सं.	वांछित सूचना	उपलब्ध सूचना
1.	No. employees who are habitual late comers since 01.01.2023, i.e. their In attendance on AEBAS is after 9.40 AM in each office since 01.01.2023	वक्षित सूचना शून्य समझी जाय।
2.	No of employees who are habitual early goers since 01.01.2023 i.e., their OUT attendance on AEBAS is after is before 05.00 PM (06.00 PM whichever is applicable) since 01.01.2023.	वक्षित सूचना शून्य समझी जाय।
3.	Details of corrective action such as total no. of warning letter/deduction of leave etc. done since 01.01.2023	लागू नहीं

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

24.10.24

(विवेक वर्मा)

अनुभाग अधिकारी

जाह्नवी सदन, 21/496, इन्दिरा नगर,
लखनऊ-226016
दूरभाष सं. 0522-2715471
फैक्स सं. 0522-2719834
ईमेल-- dirmalucknow-cwc@nic.in



Jahnvi Sadan, 21/496, Indira Nagar,
Lucknow-226016
Telephone No. 0522-2715471
Fax No. 0522-2719834
E-mail : dirmalucknow-cwc@nic.in

I/186901/2024(1)

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मध्य गंगा मण्डल-1



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources RD & GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Middle Ganga Division-1

पत्रांक: 33(1)/मगंम-1/लख/2024/

दिनांक:

सेवा में,

निदेशक

प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय

केन्द्रीय जल आयोग

लखनऊ

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपके ई-मेल दिनांक 10.10.2024 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्रांक के अनुक्रम में आपको सादर सूचित करना है कि Miss Pooja, R.K.Puram, New Delhi के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत किये गये आवेदन द्वारा वांछित इस कार्यालय से सम्बन्धित सूचना निम्नवत है -

क्र. सं.	वांछित सूचना	उपलब्ध सूचना
1	No. employees who are habitual late comers since 01.01.2023, i.e., their IN attendance on AEBAS is after is after 09.40 AM in each office since 01.01.2023.	वांछित सूचना शून्य समझी जाय।
2	No. employees who are habitual early goers since 01.01.2023, i.e., their OUT attendance on AEBAS is after is before 05.00 PM (06.00 PM whichever is applicable) since 01.01.2023.	वांछित सूचना शून्य समझी जाय।
3	Details of corrective action such as total no. of warning letter/ deduction of leave etc. done since 01.01.2023	लागू नहीं।

उक्त आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

Signed by Shobhit Chandra
Mishra

Date: 17-10-2024 (शोभित चन्द्र मिश्र)

Reason: Approved अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:-

अधीक्षण अभियन्ता (स.), ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।